

2.2

प्रपत्र-5

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बैजनाथ-
बागेश्वर मोटर मार्ग के किमी 0 15 से उडलगौव तक मोटर मार्ग
निर्माण कार्य।

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति।

शासनादेश की प्रमाणित फोटोप्रति संलग्न है।

Kailash chander

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
बागेश्वर लो 0 नि 0 वि 0
बागेश्वर

28/1/21
अधिशायी अभियंता
E.K. Pandey
प्रान्तीय खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
बागेश्वर
प्रान्तीय खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
बागेश्वर

प्रेषक

एस0एस0 टोलिया,
समुक्ता सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

रोका में

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक/8 फरवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र-बागेश्वर के अन्तर्गत विभिन्न 10 निर्माण कार्यों हेतु प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा द्वारा विषयगत कार्यों हेतु उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के आगणनों, जिनकी कुल लम्बाई 37.00 कि०मी० + 01 स्थान एवं लागत ₹ 350.95 लाख है, पर शासन द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि ₹ 345.46 लाख (₹ तीन करोड़ पैंतालीस लाख छियालीस हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, बालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 10 कार्यों हेतु ₹ 1.00 लाख (₹ एक लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं०:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- (iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नाम है, स्वीकृत नाम से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि में बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।
- (iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित करते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- (v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोव्हायमेंट रूलर्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- (vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं०:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य करते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन०पी०वी०, भूमि अधिग्रहण, यूरिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में सम्भाव्य व्यय अनुदान सं०-22 लेखाशीर्षक-5084 सड़कों तथा सेतुओं पर पूज्यगत परिव्यय-04 गिरा तथा आर्य सड़कें-037-सड़क निर्माण कार्य-04-सड़क/गवन/सेतु आदि हेतु भूमि

Scanned by CamScanner

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
बागेश्वर

अधिग्रहण-00-24 वृहत् निर्माण कार्य में वित्तीय आय-व्ययक में प्राविधानित व्यय निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

(ix)- स्वीकृत किये जा रहे कार्य वर्गी गुणवत्ता एवं सशयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

(x)- वर्तमान में व्यय हेतु अप्रयुक्त गयी जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2019 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के साक्ष्य चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi)- यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यों में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii)- विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि ₹ 1.00 लाख का बजट आबंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28 मार्च, 2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22 के अन्तर्गत अलॉटमेंट आई0डी0 संख्या-S1902220262 दिनांक 15 फरवरी, 2019 के द्वारा आपको आवंटित कोड सं0-4227 Chief Engineer PWD में कर दिया गया है।

(2)- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22-लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कों-337-सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-24 वृहत् निर्माण कार्य (5054-04-800-03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

(3)- यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-845/XXVII(2)/2018 दिनांक 14 फरवरी, 2019 में प्राप्त उनकी राहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-700/111(2)/19-47(एम0एल0ए0)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊ मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
5. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 अल्मोड़ा।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जनपद देहरादून/बागेश्वर।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
9. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल वृत्त, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
10. अधिशासी अभियन्ता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(जयंत सिंह)
उप सचिव

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड लो0नि0वि0
बागेश्वर